(Y2)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
380/2024	19/11/2024	05/05/2025

– उनवान –

ओमप्रकाश पुत्र शिवसहाय
बाबूलाल पुत्र शिवसहाय
जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम दीपपुरा, तहसील आंधी, जिला जयपुर, राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

कृष्ण पुत्र सीताराम
जगदीश पुत्र गोपीराम
[illegible]ाल पुत्र हरसहाय
मनोहरीदेवी पत्नि सीताराम
राजेन्द्र पुत्र सीताराम
राधेश्याम पुत्र हरसहाय
विनोद पुत्र सीताराम
सतीश पुत्र सीताराम
जातियान हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम दीपपुरा, तहसील आंधी, जिला जयपुर राजस्थान।
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आंधी, तहसील आंधी, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक
श्री पुष्पेन्द्र शर्मा – वकील प्रार्थीगण।
श्री रामकरण शर्मा – वकील अप्रार्थी सं0 1 ता 3 व 5 ता 8

प्रार्थनापत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 251–ए राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

–:निर्णय :–

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र शर्मा के प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 43 रकबा 0.7200है0 भूमि वाकै ग्राम दीपपुरा, पटवार हल्का चावण्डिया, तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित भूमि है। जिसमें प्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे है एवं खसरा नम्बर 82 रकबा 1.8500है0 वाके ग्राम दीपपुरा, पटवार हल्का चावण्डिया तहसील आंधी की खातेदारी अप्रार्थी सं0 1 लगायत 8 के नाम से दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 43 में आने जाने के लिए संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से वर्णितानुसार अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 8 की भूमि खसरा नम्बर 82 में से होकर खसरा नम्बर 81 में मौके पर चालु व सी0सी0 रोड निर्मित रास्ते से आते जाते है, परन्तु वर्तमान में अप्रार्थी सं0 1 लगायत 8 के मन मे बदनियति आ जाने के कारण अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 82 में होकर चले आ रहे संलग्न नजरी नक्शें में लाल रंग से दर्शाये गये रास्ते को बन्द करने पर आमदा है, तथा प्रार्थीगण को धमकीया दे रहे है कि खसरा नम्बर 82 हमारी खातेदारी भूमि है इसमें से हम प्रार्थीगण को नही जाने देगे। जिसका प्रार्थीगण ने विरोध किया तो अप्रार्थी सं0 1 लगायत 8 द्वारा प्रार्थीगण के साथ झगडा करने पर आमादा हो गये। यदि अप्रार्थी सं0 1 लगायत 8 द्वारा उक्त खसरा नम्बर 82 मे होकर चले आ रहे प्रार्थीगण के रास्ते को बन्द कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण का अपनी भूमि खसरा नम्बर 43 में पहुच का रास्ता व आना जाना बंद हो जायेगा, इसलिये प्रार्थीगण को अपनी

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

भूमि में आने जाने के लिये नजरी नक्शें दर्शित अनुसार खसरा नम्बर 82 में से संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित लाल रंग अनुसार होकर रास्ता दिलवाया जावें। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी मे जाने आने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि खसरा नम्बर 43 में आने जाने के लिये खसरा नम्बर 82 में लाल रंग से दर्शित किये गये रास्ते को खातेदार बन्द कर देते है तो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में पहुच के लिये अन्य कोई रास्ता नही है। चूकि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि चारों आरे से घिरी हुई है। जिसमे कोई रास्ता नही है। इसलिए प्रार्थीगण अपनी भूमि तक पहुचने के लिये संलग्न नजरी नक्शानुसार दर्शित प्रस्तावित नक्शे के अलावा अन्य कोई नजदीकी रास्ता पहुंच के लिये नही होने से कानूनन खसरा नम्बर 82 मे से होकर अपनी खातेदारी मे पहुच के लिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत नजरी नक्शें में वर्णित लाल रंग मे होर रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः ग्राम दीपपुरा, पटवार हल्का चावण्डिया, तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 82 में से होकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 43 वाके ग्राम दीपपुरा तक आने जाने हेतु संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित अनुसार राजस्व नक्शें मे गैर मुमकिन रास्ता 30 फीट का अंकित करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज0 काश्तकारी अधि0 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर जरिये रजिस्टर्ड डाकर से तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 व 5 लगायत 8 की ओर से अधिवक्ता श्री रामकरण शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल मिसल है। वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश नही किया। अतः जवाब बन्द किया जाता है। अप्रार्थी 4 अनुपस्थित। अप्रार्थीगण सं0 4 को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी सं0 4 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 9 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/आरटी/2024/892 दिनांक 02.12.24 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दीपपुरा के खसरा नम्बर 43 रकबा 0.72है0 किस्म चाही 3 वादीगण व खसरा नम्बर 82 रकबा 1.85है0 किस्म बारानी 3 प्रतिवादीगणों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीगण खसरा नम्बर 82 में पूर्वी सीमा से रास्ते में आने जाने हेतु काम में लिया जा रहा है। जिसको नक्शें में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है। खसरा नम्बर 43 के लिए खसरा नम्बर 82 में से 0.0450है0 (112 मी0 लम्बा व 04 मी0 चौडाई) भूमि काम आती है। अप्रार्थीगणो द्वारा माननीय न्यायालय के मुकदमा नं0 95/2021 उनवान जगदीश बनाम ओमप्रकाश वगै0 में दिनांक 27.07.2021 में जारी निर्णय ग्राम दीपपुरा के खसरा नम्बर 82 रकबा 1.85 है0 में उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखल नही करें, ना ही प्रार्थी के बुआई जुताई में दखल करे, ना ही प्रार्थी की तारफैन्सिग में दखल करे, ना ही किसी प्रकार का कब्जा करें, ना ही प्रार्थीगण के कब्जे व उपयोग में दखल करें। मौके पर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किया गया।

अतः वकील उभय पक्षो की बहस सुनी गई। बहस सुनने व पैरोकार सरकार का जवाब तथा पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम दीपपुरा, पटवार हल्का चावण्डिया, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 43 रकबा 0.72है0 मे आवागमन हेतु अप्रार्थी सं0 1 लगायत 8 की भूमि खसरा नम्बर 82 रकबा 1.85है0 में से नजरी नक्शें अनुसार 4 मी0 चौडा व 112 मी0 लम्बा रास्ते के रूप में भूमि को गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक बिला लगानी) के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर अमल करे एवं उक्तानुसार राजस्व नक्शें में तरमीम करे, रास्ते की भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 राशि से गणना कर दोगुना राशि अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 8 को हिस्से अनुसार दिलवाई जाने के उपरान्त अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 8 के राजस्व नक्शे मे उक्तानुसार किस्म गै.मु. रास्ता कायम किया जावें। नक्शा दुरूस्त कर उक्तानुसार रास्ता कायम करने के आदेश तहसीलदार आंधी को दिये जाते है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार आंधी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 05.05.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला जयपुर
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ